प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

खण्ड-6

जुलाई 2019 से दिसम्बर 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

(फरवरी-मार्च 2021 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-6

जुलाई 2019 से दिसम्बर 2020 सत्र

के

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2021

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्रीमती मंजू गजभिये	--	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (उप सचिव)
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार जुलाई 2019 से दिसम्बर 2020 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [...........] दर्शाया गया है.

भोपाल :

दिनांक : 12 फरवरी, 2021

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	जुलाई, 2019 सत्र	--	--	1-2
2.	दिसम्बर, 2019 सत्र	--	--	3-4
3.	मार्च-अप्रैल 2020 सत्र	--	--	5-11
4.	सितम्बर 2020 सत्र	--	--	12-22
5.	दिसम्बर 2020 सत्र	--	--	23-40

जुलाई 2019

दिनांक 19 जुलाई, 2019

<u>अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास कार्यों की जानकारी</u>

[अनुसूचित जाति कल्याण]

1. अता.प्र.सं.117 (क्र. 2818) श्री उमाकांत शर्मा : क्या सामाजिक न्याय मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले में 01 अप्रैल, 2014 से 20 जून, 2019 तक अनुसूचित जाति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़, जनजातीय बाहुल्य बस्ती ग्रामों, मजरा-टोलों, नवीन बसाहट में सी.सी. रोड नालियां निर्माण, पुलिया/रपटों/भवन का निर्माण, विभागीय आवासीय संस्थाओं को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सी.सी. रोड, आंतरिक रोड, विद्युतीकरण कार्य, कृषकों के कुओं तथा ट्यूबवेलों तक विद्युत विस्तार कार्य स्वीकृत किये गये हैं? प्रत्येक वर्षवार प्राप्त आवंटन राशि , कार्य का नाम, ऐजेन्सी का नाम, कार्य की वर्तमान स्थिति, किसकी अनुशंसा के कार्य स्वीकृत किया गया? जानकारी देवें। **(ख)** 01 अप्रैल, 2014 से जिले में संचालित छात्रावासों, आश्रमों, विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी-कितनी राशि खर्च हुई है? छात्रावासों, आश्रमों, विद्यालयोंवार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इन जातियों के सामाजिक उत्थान हेतु शासकीय ऋण, समूहों के कल्याण के लिये योजनाएं एवं रोजगार के क्या-क्या अवसर उपलब्ध कराये गये हैं? सिरोंज, लटेरी विकासखण्डों के ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत लटेरी, नगर पालिका सिरोंज अनुसार हितग्राही की संख्यात्मक जानकारी सहित विवरण देवें? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में धनराशि के व्यय, खरीदी एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संदर्भ में विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों की जाँच किन-किन अधिकारियों से कराई और कितनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? योजनाओं का क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों का निरीक्षण/परीक्षण जिला स्तर एवं संभागीय स्तर के किन-किन अधिकारियों ने किन-किन तिथियों को किया? क्या विभाग भारी अनियमितता और निर्माण कार्यों के गुणवत्ताविहीन बनने के लिए संभाग स्तर पर कोई टीम बनाकर जाँच करायेगा?

सामाजिक न्याय मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है**। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

<u>अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में</u>

[सामान्य प्रशासन]

2. अता.प्र.सं.95 (क्र. 3595) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदोन्नति हेतु उच्च न्यायालय से केस जीतकर आए हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति से शेष अधिकारी एवं कर्मचारियों को कब तक पदोन्नति आदेश जारी होंगे?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** 167 अधिकारी/ कर्मचारी। **(ख)** 33 अधिकारी/कर्मचारी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग)** मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2016 को यथास्थिति के आदेश पारित किये गये हैं। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

दिसम्बर, 2019

दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक एवं अधीक्षकों की नियुक्ति

[चिकित्सा शिक्षा]

1. परि.अता.प्र.सं. 155 (क्र. 1641) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के पैथालाजी विभाग में कॉलेज स्थापना दिनांक से प्रश्न दिनांक तक सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पद के लिए एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के सदस्य के लिए कोई भी पद अधिकृत नहीं किया गया? यदि हाँ, तो कारण बताएं। यदि नहीं, तो उक्त विभाग के सह-प्राध्यापकों, प्राध्यापकों की सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एफ भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2017 पत्र में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को अनदेखा कर आदर्श सेवाभर्ती नियम बनाकर जी.एम.सी. विज्ञप्ति क्रमांक 9938 एम.सी./स्था./विज्ञप्त/4/2018 दिनांक 23/03/2018 में उक्त पद पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति दी गई? क्या उक्त पद पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति देते समय संविधान के आरक्षण नियमों का पालन किया गया? **(ग)** क्या हमीदिया, सुल्तानिया जनाना अस्पताल एवं टी.बी. अस्पताल का अधीक्षक का पद स्वीकृत है? यदि हाँ, तो वर्तमान में नियुक्त अधीक्षकों की नियुक्ति किस आधार पर हुई है? **(घ)** एस.सी.आई. नियमों अनुसार अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या नियम है? क्या अधीक्षक नियमित पद पर रहते हुए दो शासकीय पद पर कार्य कर सकता है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** जी नहीं, प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापक पदोन्नत पद होने के कारण महाविद्यालय की स्थापना दिनांक के पश्चात राज्य शासन द्वारा पदोन्नत पद पर लागू किए गए आरक्षण नियम की दिनांक से आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। विभाग के अधीन कार्यरत प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापकों की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जी हाँ। वर्तमान में हमीदिया चिकित्सालय में अधीक्षक का पद मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 अनुसार प्राध्यापक के पद से स्थानांतरण द्वारा भरा गया है। सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय में अधीक्षक के पद को प्रभार पर दिया गया है। अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ क्षय चिकित्सालय, भोपाल के अधीक्षक पद का कार्यभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा गया है। **(घ)** एम.सी.आई. नियमों की प्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

के प्रपत्र-2 अनुसार है। अधीक्षक पद पर रहते हुए विभागाध्यक्ष का पद धारण नहीं किया जा सकता है।] **(ख)** प्रश्नांश में उल्लेखित अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2018 में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, के संबंध में शासन स्तर से संचालक, चिकित्सा शिक्षा को जांच किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

मार्च-अप्रैल, 2020

दिनांक 17 मार्च, 2020

27 प्रतिशत ओ.बी.सी. आरक्षण लागू किये जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

1. परि.अता.प्र.सं. 21 (क्र. 215) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव में पिछड़ा वर्ग समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था? यदि हाँ, तो एक वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात् किस विभाग, किस संस्था में उपरोक्त वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिला, विभागवार विस्तार से बतायें। **(ख)** क्या सरकार ने अपने वचन पत्र में पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग का सामाजिक एवं आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वे कराने का वादा किया था? यदि हाँ, तो सर्वे उपरांत पिछड़े वर्ग में कौन-कौन सी जातियों को सम्मिलित किया गया है एवं अति पिछड़े वर्ग में कौन-कौन सी जातियों को सम्मिलित किया गया है वर्गवार आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की संख्या से अवगत करावें? **(ग)** क्या चुनाव के पूर्व अपने वचन पत्र में रजक, प्रजापति, कीर, मीना पारधी, मॉझी को अनुसूचित जाति/जनजाति सामाजिक मांग अनुसार सम्मिलित करने का वचन किया था? यदि हाँ, तो वचन अनुसार इनकों सम्मिलित कर लिया है तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री : [**(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है **(ख)** जी हाँ। अब तक सर्वे नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। **(ग)** मॉझी जाति को अनुसूचित जनजाति अधिसूचित करने हेतु दिनांक 29.08.2018 को भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार।** कीर, मीना, पारधी को पूर्ववत जनजातियों की सूची में पुर्नस्थापित करने हेतु दिनांक 24.09.2018 को भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा म.प्र. असाधारण राजपत्र दिनांक 14 अगस्त 2019 द्वारा अधिसूचना जारी कराई जाकर पत्र क्रमांक एफ 7-10/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 26 अगस्त 2019 द्वारा सर्व संबंधितों को अवगत कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. की रिट याचिका क्रमांक 5901/2019 आशिता दुबे विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 19-03-2019 एवं 31-01-2020 के अनुसार प्रकरण अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 18 मार्च, 2020

शासन संधारित मंदिरों की जानकारी एवं आमदनी

[अध्यात्म]

2. अता.प्र.सं.14 (क्र. 208) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में शासन संधारित मंदिर कितने हैं और उनकी वार्षिक आमदनी कितनी है? मंदिर की संख्या, जिलावार, वार्षिक आमदनीवार प्रदेश स्तर की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत मंदिरों की आमदनी को कहाँ-कहाँ व्यय किया जाता है? पुजारियों को कितना-कितना वेतन दिया जाता है? मंदिर का नामवार, जिलावार, पुजारियों को वेतनवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के तहत शासन संधारित मंदिरों का प्रबंधक कलेक्टर को क्यों बनाया जाता है और किस नियम-कानून के तहत बनाया जाता है? कब से बनाने की परंपरा शुरू हुयी है? जानकारी दें?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है। **(ख)** मंदिरों की आमदनी को मंदिरों के रख-रखाव, पूजन सामग्री का क्रय, पूजापाठ, जीर्णोद्धार, पूजा पर्व, उत्सव, भण्डारा आदि के आयोजन कार्य किये जाते हैं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है। **(ग)** म.प्र. शासन, राजस्व (शाखा-9) विभाग के पत्र क्र. एफ 8-18/सात-9/87 भोपाल दिनांक 11 जनवरी 1988 के द्वारा समस्त कलेक्टरों को अभिलेख में व्यवस्थापक के रूप में कलेक्टर का नाम इंद्राज करने के निर्देश दिये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ग" अनुसार** है।

आरक्षित वर्ग की महिलाओं का साक्षात्कार

[सामान्य प्रशासन]

3. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 1022) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2008 से 2012 तक आयोजित विभिन्न चयन परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ही वर्ग में पुरूषों से ज्यादा अंक लाने के बाद भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति की 43 महिलाओं को साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया? यदि हाँ तो परीक्षा अनुसार महिलाओं के नाम की सूची देवें तथा उन परीक्षाओं की सभी वर्ग के कट ऑफ पाईन्ट की जानकारी देवें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घटना की वर्ष 2013 से 2019 में भी पुनरावृत्ति हुई है? यदि हाँ तो संख्या बतावें तथा ऐसा होने का कारण बतावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) तथा (ख) में उल्लेखित अनियमितता लोकसेवा आयोग के संज्ञान में आने के बाद भी प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया? यदि किया गया तो वर्ष अनुसार परीक्षा अनुसार उसकी जानकारी देवें। **(घ)** क्या आरक्षित वर्ग की महिलाओं के मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक आने के बाद भी उन्हें साक्षात्कार में नहीं बुलाया जाना तथा कम अंक वालों को बुलाकर उनका चयन कर लेना कानूनी रूप से

उचित है? यदि नहीं, तो अधिक अंक लाने वाली महिलाओं को अवसर प्रदान करने से इस आधार पर क्यों वंचित किया गया कि परिणाम घोषित कर दिये गये हैं?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। केवल मुख्य परीक्षा वर्ष 2008 में अनुसूचित जाति की 05 एवं अनुसूचित जनजाति की 17 महिलाओं को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। वर्ष 2009 से 2012 तक की मुख्य परीक्षा की जानकारी निरंक है। वर्ष 2008, 2009, 2010 एवं 2012 में आयोजित परीक्षाओं के सभी वर्ग के कट ऑफ पाइंट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। वर्ष 2011 में राज्य सेवा परीक्षा आयोजित नहीं की गई। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। कोई अनियमितता न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ, तत्समय आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नीति के अनुरूप है। वास्तव में राज्य सेवा परीक्षा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के चरण, चयन न होकर वस्तुत: अभ्यर्थियों की अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्टिंग ही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 19 मार्च, 2020

<u>परिवहन उप निरीक्षक पर नियुक्ति की जानकारी</u>

[परिवहन]

4. परि.अता.प्र.सं. 18 (क्र. 330) श्री प्रदीप पटेल : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के क्रमांक/एफ-1-42-97/आठ भोपाल दिनाँक 07.04.1998 या अन्य पत्र क्रमांकों एवं दिनाँक से परिवहन आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर को पत्र लिखकर (या आदेश जारी कर) श्री मोहम्मद अलीम खान, निम्न श्रेणी लिपिक (या सहायक ग्रेड-3) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल को परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक के पद पर, विशेष प्रकरण मानकर निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों को शिथिल कर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी हुये? जारी पत्र या आदेश की प्रति प्रमुख सचिव परिवहन के काउण्टर हस्ताक्षरों से उपलब्ध करायें यह आदेश सत्य हैं या कूट रचित? **(ख)** क्या कार्यालय परिवहन आयुक्त म.प्र. ग्वालियर ने पत्र क्रमांक/प्रवर्तन/टीसी/98 ग्वालियर दिनाँक 18.05.1998 या अन्य आदेश क्रमांकों या दिनांकों से आदेश जारी कर प्रश्नांश (क) में वर्णित व्यक्ति को परिवहन उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किये? जारी नियुक्ति आदेश की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित व्यक्ति की परिवहन विभाग में चयन एवं प्रथम पदस्थापना किस दिनाँक को, किस पद पर, किन-किन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, किस कार्यालय में, किस माध्यम से हुई? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित जारी पत्र (आदेश) ओरिजनल है या फर्जी?

परिवहन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है] **(क)** विभाग की संबंधित नस्ती तलाशने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित अनुसार प्रश्नाधीन **आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। नस्ती गुमने की जाँच हेतु एफ.आई.आर दर्ज करने बाबत् थाना प्रभारी, अरेरा हिल्स को लिखा गया है। **(ख)** जी हाँ। आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है। **(ग)** मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी संगठन) भोपाल के पत्र क्रमांक 919/1429/कक/1/91 दिनांक 02.07.1991 एवं पत्र क्रमांक 1006/2493/कक/1-15-91 दिनांक 17.07.1991 द्वारा श्री मोहम्मद अलीम खान को उत्कृष्ठ खिलाड़ी घोषित किये जाने के फलस्वरूप परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेश क्रमांक 8034/26/87/स्था./91 ग्वालियर दिनांक 01.08.1991 द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ग" अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश का सत्यापन संबंधित नस्ती उपलब्ध होने पर ही संभव है। प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आदेश विभागाध्यक्ष कार्यालय से जारी हुआ है, जो जाली या कूट रचित नहीं है।

व्यापम घोटाले की जांच
[चिकित्सा शिक्षा]

5. अता.प्र.सं.88 (क्र. 1111) श्री मनोज चावला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या व्यापम ने परीक्षा में गलत तरीके अपनाने पर वर्ष 2008 से 2011 की पी.एम.टी. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता समाप्त करने संबंधित आदेश की प्रति विभाग को भेज कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया था यदि हाँ, तो वर्षवार संख्या क्या थी तथा कितने अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया गया? **(ख)** शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में फर्जी भर्ती होने की शिकायत की जांच विभाग करेगा या प्रवेश एंड फीस विनियामक समिति करेगी। व्यापम घोटाले में फर्जी भर्ती की जांच विभागीय स्तर पर विभाग द्वारा की गई या AFRC द्वारा की गई। क्या शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश संबंधित समस्त दस्तावेज तथा पत्राचार विभाग से करता है या AFRC करता है। **(ग)** क्या विभाग पी.एम.टी. के माध्यम से निजी चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती में घोटाले की 2009 से 2013 की जांच कर रहा है यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में फर्जी भर्ती होने की शिकायत की जांच सी.बी.आई. एवं एस.टी.एफ. द्वारा की जा रही है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जी नहीं। जांच सी.बी.आई. एवं एस.टी.एफ. द्वारा की जा रहीं है।] **(क)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में फर्जी भर्ती होने की शिकायत की जांच सी.बी.आई. एवं एस.टी.एफ. द्वारा की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्मार्ट चिप सॉफ्टवेयर कंपनी का अनुबंध

[परिवहन]

6. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 1186) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश स्मार्ट चिप सॉफ्टवेयर कंपनी को परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के ठेके दिए गये हैं? यदि हाँ, तो अनुबंध की शर्तें व समय-सीमा क्या थी? **(ख)** क्या स्मार्ट चिप सॉफ्टवेयर कंपनी का अनुबंध पूर्ण होने के बाद भी प्रश्न दिनाँक तक कार्य कर रही है? यदि हाँ, तो क्यों? विभाग द्वारा कंपनी को प्रतिमाह कितनी राशि का भुगतान किस नियम के तहत किया जा रहा है? क्या विभाग में कंपनी का अनुबंध समाप्त करने अथवा नया अनुबंध करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कब तक कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा? **(ग)** क्या शासन कंपनी का अनुबंध पूर्ण हाने के बाद भी कंपनी को किए गये भुगतान की जाँच कराकर कंपनी से वसूली की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या प्रदेश में स्मार्ट चिप सॉफ्टवेयर कंपनी के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शासन द्वारा कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। मेसर्स स्मार्ट चिप के साथ दिनांक 27.09.2013 को 05 वर्ष के लिये अनुबंध निष्पादित किया गया था। अनुबंध की शर्ते (अनुबंध की प्रति) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। अनुबंध के क्लॉज 9.5 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण। सेवाप्रदाता कंपनी को देयकों का अनुबंध अनुसार मध्यप्रदेश इलेक्ट्रोनिक विकास निगम (MPSEDC) से ऑडिट उपरान्त भुगतान किया जाता है। मै. स्मार्ट चिप लिमिटेड द्वारा माह अक्टूबर-2018 से प्रश्न दिनांक तक माह जनवरी-2020 तक की अवधि में बनाये गये विभिन्न प्रकार के स्मार्ट कार्डों व पेपर डॉक्यूमेंट के कार्यों के माहवार देयक भुगतान कार्यवाही हेतु कार्यालय में प्राप्त हुये है। देयक ई-ऑडिट/सत्यापन हेतु अनुबन्ध अनुसार मध्यप्रदेश इलेक्ट्रोनिक विकास निगम, (MPSEDC) भोपाल की ओर भुगतान पूर्व छायाप्रति सहित भेजे गये जिनमें से माह जुलाई-2019 तक के ई-ऑडिट/सत्यापन उपरांत प्राप्त देयकों को स्वीकृति पश्चात् माहवार राशियों का भुगतान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** किया गया है। वर्णित स्थिति में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** मैसर्स स्मार्ट चिप सॉफ्टवेयर कंपनी के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त होती हैं। कार्यालय परिवहन आयुक्त म.प्र. के आदेश क्रमांक 16/टीसी/2019 ग्वालियर दिनांक 20.06.2019 के द्वारा मैसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड के कार्यों की निगरानी, आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण, स्मार्ट चिप लिमिटेड से नवीन कार्य करने एवं उनकी कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने के लिये समिति का गठन किया गया है।

नियम विरूद्ध भुगतान की गई राशि की वसूली

[महिला एवं बाल विकास]

7. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 1204) श्री कमलेश जाटव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जिला रीवा द्वारा अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनाँक तक प्रधानमंत्री वंदना योजना एवं विभाग की अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अशोक टेड्र्स रीवा को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है तथा उक्त कार्यों के भुगतान नियम क्या थे? नियम की प्रति देते हुए यह बताएं कि यदि नियम एवं पात्रता से अधिक भुगतान हुआ है तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उनके विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे? **(ख)** प्रश्नांश (क) योजना में प्रथम पुत्र/पुत्री पैदा होने पर प्रोत्साहन राशि देने का नियम है किंतु उक्त अधिकारी द्वारा 2,3,4 बच्चे की माँ को भी राशि प्रदान की गई है? जिसकी जाँच विभाग के सहायक संचालक से कराई गई तथा जाँच में आरोप प्रमाणित एवं वित्तीय अनियमितता की दोषी पाई गई? जाँच प्रतिवेदन के साथ जानकारी देवें तथा बतावें कि कुल कितनी राशि नियम विरूद्ध भुगतान की गई है? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) के अधिकारी द्वारा शलोने प्रसाद गुप्ता सहायक ग्रेड-1 की पदस्थापना बाल विकास परियोजना शहरी रीवा है किंतु नियम आदेश के विपरीत गुप्ता को अपने कार्यालय के लेखाधिकारी के पद प्रभार में रखे हुए है जबकि इस पदस्थाना के पूर्व गुप्ता 20 वर्षों से लगातार लेखा शाखा के प्रभार में था? इस नियम विरूद्ध पदस्थापना से गुप्ता को भारमुक्त कर उसके मूल पदस्थापना को वापस कर देंगे? **(घ)** यदि प्रश्नांश (क) की अधिकारी प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के नियम विरूद्ध कार्य एवं जाँच में दोषी है तो उसे निलंबित कर शीघ्र विभागीय जाँच कराते हुए नियम विरूद्ध भुगतान की गई राशि की वसूली करा लेंगे? हाँ तो समय-सीमा बताएं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [**(क)** जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला रीवा द्वारा अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना एवं विभाग की अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अशोक ट्रेडर्स रीवा को किए भुगतान का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार है।** उक्त कार्य हेतु भुगतान म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अन्तर्गत किये गये हैं नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार है।** अशोक ट्रेडर्स रीवा को नियम एवं पात्रता से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के अधिकारी द्वारा श्री शलोना प्रसाद गुप्ता सहायक ग्रेड-1 को उनकी मूल पदस्थापना बाल विकास परियोजना रीवा शहरी में कार्यालयीन आदेश क्रं. 4262-63 दिनांक 4.9.2019 के द्वारा भारमुक्त किया जा चुका है। जिले में लेखा कार्य की अधिकता एवं परियोजनाओं का आहरण-संवितरण भी जिले में होने से लेखापाल श्री शलोना प्रसाद गुप्ता को बाल विकास परियोजना शहरी रीवा के साथ-साथ कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला

एवं बाल विकास जिला रीवा में लेखापाल का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। शेष का प्रश्न नहीं। **(घ)** प्रश्नांश (क) की अधिकारी प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के नियम विरूद्ध कार्य एवं जांच में दोषी नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न नहीं। संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र. भोपाल द्वारा 321 अपात्र हितग्राहियों को भुगतान की गई राशि वसूली के निर्देश दिये जाकर वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।] **(ख)** प्रश्नांश (ख) योजना में प्रथम पुत्र/पुत्री पैदा होने पर प्रोत्साहन राशि न दिया जाकर मातृत्व लाभ की राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रकरण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 2, 3, 4 बच्चे की माँ को राशि प्रदान नहीं की गई है, अपितु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अपात्र हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। जिसकी जांच संचालनालय स्तर से कराई गई जिसका जांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जिले में कुल 321 अपात्र हितग्राहियों को कुल रू. 1605000/- (रू. सोलह लाख पांच हजार) की राशि का नियम विरूद्ध भुगतान होना पाया गया है।

सितम्बर, 2020

दिनांक 21 सितम्बर, 2020

आई.पी.एस. अधिकारियों के कार्यालय एवं बंगले पर पदस्थ स्टॉफ

[गृह]

1. अता.प्र.सं.61 (क्र. 317) श्री आरिफ अक़ील : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त एवं वर्तमान में पदस्थ आई.पी.एस. अधिकारियों के बंगले एवं कार्यालय में कितने स्टॉफ की पात्रता है? अर्दली ड्रायवर सहित पदवार बतावें। **(ख)** पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं भोपाल से बाहर पदस्थ आई.पी.एस. एवं सेवानिवृत्त आई.पी.एस. अधिकारियों के यहां पर कितने-कितने ड्रायवर एवं अर्दली अभी तक अपनी सेवायें दे रहे हैं एवं उनकी मूल पदस्थापना कहाँ पर है? **(ग)** वर्तमान में पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ आई.पी.एस. अधिकारियों के बंगले पर कितने कर्मचारियों का स्टॉफ कार्यरत है? स्वीकृत कर्मचारियों से अतिरिक्त कर्मचारियों को क्या वापिस बुलाया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 61 के अनुसार आई.पी.एस. अधिकारियों को अर्दली रखने की पात्रता निम्नानुसार हैः- (1) महानिरीक्षक- 01- मुख्य आरक्षक, 03- आरक्षक, (2) उप महानिरीक्षक-01- मुख्य आरक्षक, 02-आरक्षक, (3) पुलिस अधीक्षक/सेनानी-02- आरक्षक, 01-चालक का प्रावधान है। सेवानिवृत्त आई.पी.एस. अधिकारियों के बंगलों पर अर्दली/वाहन चालक रखने का प्रावधान नहीं है। **(ख)** पुलिस मुख्यालय एवं भोपाल शहर से बाहर पदस्थ आई.पी.एस. अधिकारियों के बंगले पर कुल-447 अर्दली एवं 154 चालक कार्यरत हैं। इनकी मूल पदस्थापना प्रथम, 2री, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 17वीं, 18वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 29वीं, 32वीं, 34वीं, 35वीं, 36वीं, वाहिनी विसबल तथा एम.टी.पूल. भोपाल है। **(ग)** पुलिस रेग्युलेशन के पैरा-61 के नियमानुसार कर्मचारियों का स्टाफ कार्यरत है।

आत्महत्या की घटित घटनाएं

[गृह]

2. अता.प्र.सं.64 (क्र. 330) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 25 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में किस-किस जिले में कितने कृषकों ने, कितने खेतिहर श्रमिकों ने, कितने युवाओं ने, कितनी महिलाओं ने आत्महत्या की? **(ख)** 25 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस जिले में कितनी हत्याएं हुई, कितनों को आरोपी बनाया तथा कितनों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? **(ग)** प्रश्न (क) की अवधि में कितने

पुलिस महकमें से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रशासकीय एवं स्वैच्छिक आधार पर किये गये व उसके एवज में शासन पर स्थानांतरण एलाउंस का कितना भार आया? **(घ)** प्रश्नाधीन अवधि में कितने पुलिस अधिकारी कर्मचारी मृत हुये? कितने कोरोना के कारण तथा कितने अन्य कारण से मृत हुये? किस-किस को कितना मुआवजा दिया गया तथा किसे नहीं दिया गया? न देने का कारण बतावें। **(ड.)** क्या विभाग कोरोना काल में मृत प्रत्येक पुलिस कर्मचारी अधिकारी को कोरोना योद्धा मानकार एक करोड़ रूपये का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी? यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" एवं "ई" अनुसार। (ड.)** इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 22 सितम्बर, 2020

कोविड-19 के अंतर्गत अस्पतालों से किए गए अनुबंध

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. परि.अता.प्र.सं. 7 (क्र. 41) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोविड-19 के अंतर्गत आरडी गारडी उज्जैन, अमलताश अस्पताल देवास तथा अरविदों अस्पताल इंदौर की तीनों संस्थानों से किए गए अनुबंध एवं उनकी शर्तों के पालन, प्रबंध एवं व्यवस्था की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक, वित्तीय एवं भौतिक एवं सत्यापन रिपोर्ट पृथक-पृथक प्रस्तुत करें। **(ख)** क्या कोविड-19 महामारी से सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार को राशि प्रदान की थी? यदि हाँ, तो कब-कब, कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई और कितनी-कितनी राशि किस किस जिले में वितरित की गयी? **(ग)** आरडी गारडी हॉस्पिटल में चोरी छुपे अपने भाई का इलाज कराने वाले डॉ. महाड़ीक और अस्पताल प्रबंधन एवं ट्रस्ट पर उज्जैन में कोरोना संक्रमण फैलाने एवं अस्पताल में उपचारित कोरोना संक्रमण से हुई कोरोना मरीजों की मौत पर प्रशासन और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** कोविड-19 के अनुबंध अनुसार सरकार द्वारा उपरोक्त तीनों संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि कब-कब भुगतान की गयी? मरीजों की कितनी संख्या एवं मरीजों के उपचार में प्रत्येक मरीज पर कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? ईलाज के दौरान कुल कितनी मौतें हुईं और लापरवाही की कुल कितनी शिकायतें राज्य, ज़िला स्तर पर कब-कब प्राप्त हुई और प्रचलित कार्यवाही की स्थिति क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** आरविंदो हॉस्पिटल इंदौर एवं अमलतास हॉस्पिटल देवास की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** आर.डी. गार्डी उज्जैन से राज्य स्तर पर अनुबंध नहीं किया गया है। **(ख)** जी हाँ। दिनांक 25 मार्च 2020 को राशि रूपये 55.66 करोड़ एवं दिनांक 06 अप्रैल, 2020 को राशि रूपये 131.21 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त हुये एवं केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का वितरण पृथक से जिलों को नहीं किया जाता है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** अरविंदों अस्पताल इंदौर एवं अमलताश अस्पताल देवास को राज्य स्तर के अनुबंध के आधार पर एवं आर.डी. गार्डी उज्जैन को आयुष्मान भारत निरामयम की कोविड-19 पैकेज के दर से प्रति मरीज भुगतान किया गया **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"अनुसार** है। ईलाज के दौरान मौतों एवं प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।**] **(ग)** तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त घटना की जानकारी प्राप्त होते ही घटना के संबंध में तत्कालीन जिला प्रशासन (कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन) को अवगत कराया गया था।

<u>जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही</u>

[अनुसूचित जाति कल्याण]

4. अता.प्र.सं.19 (क्र. 135) श्री विनय सक्सेना : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने दोहरी छात्रवृत्ति भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच दबाए जाने पर एक पत्र अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति विकास को लिखा है? यदि हाँ, तो तत्कालीन आयुक्त अनुसूचित जाति विकास की कार्यवाही हेतु भेजी गयी अनुशंसाओं को अभी तक लंबित क्यों रखा गया है? इस हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है? **(ख)** क्या प्रदेश भर में दोहरी छात्रवृत्ति भुगतान के प्रमाण जांच में पाए गए हैं? **(ग)** क्या विभाग इसे फर्जीवाड़े का अपराध नहीं मानता है? यदि हाँ, तो नियम बतावें?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही आदिम जाति कल्याण में प्रचलित है, क्योंकि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रशासकीय नियंत्रण आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** दोहरी छात्रवृत्ति के मामले सामने आने पर वसूली की कार्यवाही की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। चूंकि दोहरी छात्रवृत्ति के मामले में विद्यार्थियों द्वारा भी आवेदन कर छात्रवृत्ति प्राप्त की गई थी, इसलिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भारत सरकार के नियम दिनांक 01.7.2010 की कंडिका 9 की उपकंडिका 2 एवं 3 के अनुसार ऐसे प्रकरणों में वसूली का प्रावधान होने से वसूली की कार्यवाही की गई है। जांच में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन में है।

उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

5. परि.अता.प्र.सं. 27 (क्र. 187) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-1/ 2019/एक/9 दिनांक 04/06/2019 की कंडिका 11.22 के अनुसार अधिकारी के एक स्थान से स्थानांतरण के बाद पुन: उसी स्थान पर सामान्यत: पदस्थ न किये जाने बाबत् नीति बनाई गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो नीति होने के बावजूद किन किन कार्यपालन यंत्रियों को पुन: उसी स्थान पर पदस्थ किया गया है? कारण बतावें? **(ग)** नियम के विपरीत आदेश करने वाले अधिकारी का नाम बतावे? क्या ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार।** प्रशासनिक कारणों से। **(ग)** प्रशासकीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये उत्तरांश (ख) अनुसार पदस्थापनाएं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) का उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. परि.अता.प्र.सं. 41 (क्र. 375) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोरोना वायसर कोविड-19 के संक्रमण का पहला प्रकरण प्रदेश में कहाँ और कब पाया गया? कोरोना प्रभावित मरीज का नाम, पता सहित बतायें। **(ख)** 15 मार्च से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि में कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित कितने व्यक्तियों के टेस्ट पॉजिटिव पाये गये एवं उसमें से कितने व्यक्तियों की उक्त वायरस से मौत हो गई तथा कितने इलाज के बाद स्वास्थ्य हो गये? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में कितने मरीजों का इलाज प्रदेश के किस-किस नगर के किन-किन निजी मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संलग्न चिकित्सालयों में कराया गया? इस उपचार हेतु राज्य सरकार ने किस-किस मद से किन-किन मेडिकल कॉलेजों एवं कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया तथा कितनी राशि देना शेष हैं? विवरण दें। **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में निजी चिकित्सालय/अस्पताल में कोरोना वायरस कोविड-19 के उपचार पर कितनी राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई एवं राज्य सरकार ने अपने फंड से कितनी राशि व्यय की? **(ड.)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु कुल कितने क्वारेंटाईन सेंटर किस-किस जिले में कितने-कितने बनाए गए? उनमें क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कोरोना वायरस संक्रमण का पहला प्रकरण प्रदेश के जबलपुर जिले में दिनांक 20 मार्च को पाया गया। नीतिगत निर्णय अनुसार प्रभावित मरीज का नाम, पता सार्वजनिक नहीं किया जा

सकता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज को किये गये भुगतान का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** कोविड-19 उपचार निजी चिकित्सालय/अस्पताल में उपचार हेतु केन्द्रीय सरकार से अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, निजी चिकित्सालय में कोविड उपचार हेतु 31/08/2020 तक राज्य सरकार द्वारा रू. 52.21 करोड़ का व्यय किया गया है। **(ङ.)** भारत सरकार के निर्देशों अनुसार संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाता, केवल सस्पेकटिड (संदिग्ध) को रखा जाता है। मार्च-अप्रैल के लॉकडाउन अवधि में प्रवासी मजदूरों के राज्य में भारी मात्रा में लौटने पर 726 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, जिनकी जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। क्वारंटाइन सेंटर में बेड, खाना, पानी, दवाइयां, इंचार्ज डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधाएं उपलब्ध थी। वर्तमान में कोई क्वारंटाइन सेंटर राज्य में संचालित नहीं है। उपरोक्त जानकारी उपसंचालक प्लानिंग, आई.डी.एस.पी. एवं आयुष्मान भारत से एकत्रित कर संकलित की गयी है।

विलीन की गयी संस्था के कर्मचारियों को लाभ

[सामान्य प्रशासन]

7. ता.प्र.सं. 9 (क्र. 663) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2009-10 के विधानसभा सत्र में दिनांक 28.07.2009 के प्रश्न क्रमांक 4642 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जवाब में बताया गया था कि किसी भी संस्था के विलयन की दशा में विलीन संस्था के कर्मचारियों को विलयन करने वाली संस्था के सभी लाभ दिए जावेंगे? **(ख)** यदि हाँ, तो आज दिनांक तक मनासा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मनासा के कर्मचारियों को म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में विलयन पश्चात पदोन्नति, पेंशन, वेतन भत्तों सम्बंधित कोई लाभ क्यों नहीं दिया गया? क्या इस वितरण समिति के कर्मचारियों को उक्त सभी लाभ दिए जावेंगे? यदि हाँ, तो समय-सीमा का उल्लेख करें?

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। **(ख)** म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के आदेश क्रमांक मु.अ./उक्षे/स्था./199, उज्जैन दिनांक 21.05.2012 के द्वारा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मनासा के 186 नियमित कार्मिकों को म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर में समिति की प्रचलित सेवा शर्तों पर संविलियन किया गया था। तदुपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमां 4371/2008 में दिए गये निर्णय दिनांक 04.03.2014 सहपठित पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 11565/2014 में निर्णय दिनांक 10.07.2014 के अनुपालन में म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के आदेश क्रमांक प्रनि/पक्षे/01/मु.अ./707 इन्दौर, दिनांक 27.12.2014 द्वारा उक्त समिति के संविलियित कार्मिकों को कंपनी कार्मिकों के समान पदोन्नति, वेतन भत्ते, अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जा रहा है एवं साथ ही ई.पी.एफ. एवं ई.पी.एफ. पेंशन पूर्वानुसार दी जा रही है। आदेश की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार**।

दिनांक 23 सितम्बर, 2020

कटनी जिले में प्रचलित राशन कार्ड से अधिक आवंटन की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

8. परि.अता.प्र.सं. 47 (क्र. 423) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2007 से 2012 की अवधि में कटनी जिले में राशनकार्ड से अधिक आवंटन की किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा किन सक्षम प्राधिकारियों के कौन-कौन से आदेशों से कब-कब जांच की गयी और क्या जांच प्रतिवेदन किन सक्षम प्राधिकारियों को कब दिये गए तथा जांच प्रतिवेदनों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) जांच तत्कालीन अपर कलेक्टर कटनी, जिला आपूर्ति नियंत्रक जबलपुर एवं तत्कालीन संयुक्त आयुक्त (सहकारिता) जबलपुर द्वारा की गयी थी? यदि हाँ, तो की गयी जाँचों के प्रतिवेदनों में अपयोजन एवं अनियमितताओं में भिन्नता होने का कारण स्पष्ट करें? **(ग)** कलेक्टर (खाद्य शाखा) जबलपुर के पत्र दिनांक 05/12/2015 के पालन में जिला आपूर्ति अधिकारी कटनी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? क्या जानकारी प्रदाय की गयी हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** अपर कलेक्टर कटनी के जांच प्रतिवेदन दिनांक–24/04/2014 में कितनी सामग्री एवं राशि का अपयोजन प्रतिवेदित किया गया था? जांच-कार्यवाही में इस प्रतिवेदन का संज्ञान न लेने का कारण स्पष्ट करें, **(ङ)** जिलाआपूर्ति अधिकारी जबलपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2015 में कितनी राशि का अपयोजन किया जाना और किन दस्तावेजों की आवश्यकता प्रतिवेदित की गयी थी? क्या चाहे गए दस्तावेज़ प्रदाय किए गए यदि हाँ, तो कब एवं किस प्रकार यदि नहीं, तो क्यों? **(च)** क्या प्रश्नांश (क) से (ड.) दस्तावेजों की अनुपलब्धता और अपयोजन की गणना एवं प्रतिवेदनों में भिन्नता का संज्ञान लिया जाकर कोई कार्यवाही की जायेंगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(च)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। जांच प्रतिवेदनों में भिन्नता का कारण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** कलेक्टर खाद्य शाखा जबलपुर के पत्र दिनांक 05.12.2015 के पालन में जिला आपूर्ति अधिकारी कटनी द्वारा उपलब्ध कराई गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। इस जानकारी के अतिरिक्त अप्राप्त माहों की आवंटन सूची तथा जनपद के अप्राप्त माहों के कार्डों की जानकारी कार्यालयीन रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। जनपद पंचायतों से राशन कार्ड की जानकारी प्राप्त नहीं होने से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। **(घ)** अपर कलेक्टर कटनी के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 28.04.2014 में कोई सामग्री एवं राशि का अपयोजन किया जाना प्रतिवेदित नहीं किया है। जाँच कार्यवाही में इस प्रतिवेदन को संज्ञान में लिया गया था। **(ड.)** जिला आपूर्ति अधिकारी जबलपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2015 में रूपये 6067362/- की राशि का अपयोजन किया जाना प्रतिवेदित किया था, परन्तु जाँच प्रतिवेदन के

साथ संलग्न गणना पत्रक त्रुटिपूर्ण होने से जाँच दल के सदस्यों को संचालनालय में आहूत कर पुन: सही गणना उपरांत राशि रूपये 3973154/- का अपयोजन किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2015 अनुसार चाहे गये दस्तावेज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। दस्तावेज़ प्रदाय किये जाने की स्थिति प्रश्नांश (ग) में दिये गये उत्तर अनुसार है। **(च)** प्रश्नांश (क) से (ड.) दस्तावेजों की अनुपलब्धता और अपयोजन की गणना के आधार पर प्रकरण में तत्कालीन लीड प्रबंधक, समिति प्रबंधक एवं विक्रेताओं के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने, कटनी जिले के उपायुक्त सहकारिता द्वारा प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर की अनुशंसा अनुसार वसूली का निर्धारण करने एवं निर्धारित की गई वसूली अनुसार आर.आर.सी. जारी कर वसूली की कार्यवाही किये जाने निर्देश कलेक्टर जिला कटनी को दिये गये हैं। प्रतिवेदनों में भिन्नता का संज्ञान लिया गया है।

कटनी में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

9. अता.प्र.सं.73 (क्र. 626) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय चिकित्सा-महाविद्यालय की स्थापना के क्या नियम/निर्देश हैं और किन संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकता के चलते चिकित्सा-महाविद्यालय की स्थापना की जाती हैं? मध्यप्रदेश में कितने और कौन-कौन से चिकित्सा-महाविद्यालय वर्तमान में कहाँ-कहाँ कबसे स्थापित/संचालित हैं? **(ख)** मध्यप्रदेश में, सचालित शासकीय चिकित्सा-महाविद्यालय किन परिस्थितियों और किन संसाधनों की उपलब्धता के चलते स्वीकृत एवं प्रारम्भ किए गए और नियत मानक अनुसार कितने और चिकित्सा-महाविद्यालय प्रारम्भ किए जा सकते हैं? **(ग)** क्या मध्यप्रदेश में नवीन शासकीय चिकित्सा-महाविद्यालय प्रारम्भ किए जाने हेतु विभाग/मप्र शासन/भारत सरकार के स्तर पर प्रस्ताव लंबित/प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रस्ताव किस स्तर पर क्या कार्यवाही हेतु लबित/प्रचलन में हैं, पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं? **(घ)** क्या जिला-कटनी प्रदेश/देश के लगभग मध्य में स्थित हैं एवं कटनी से प्रदेश/देश में लगभग सभी ओर आवागमन हेतु मुख्य-रेलमार्ग एवं राष्ट्रीय/राज्य-राजमार्ग उपलब्ध हैं? साथ ही जिला चिकित्सालय में 200 बिस्तरों की उपलब्धता हैं एवं 150-बिस्तरों का भवन निर्माणाधीन हैं, आवश्यकतानुसार शासकीय भूमि की उपलब्धता हैं? **(ड.)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक-12/08/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित पत्रों से कटनी में शासकीय चिकित्सा-महाविद्यालय की स्थापना हेतु आग्रह/मांग की गयी हैं? यदि हाँ तो संदर्भित पत्रों पर क्या कार्यवाही किस स्तर पर लंबित/प्रचलित हैं? **(च)** क्या कटनी में शासकीय चिकित्सा-महाविद्यालय की स्थापना की मांग के परीक्षण एवं स्वीकृति की कार्यवाही विभाग/शासन स्तर से की जायेंगी? यदि हाँ, किस प्रकार एवं कब तक?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना संबंधी नियम निर्देश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। PMSSY योजना अन्तर्गत एम.सी.आई. के मापदण्ड पूर्ण करते हुए जिला चिकित्सालयों को चिकित्सा महाविद्यालय में उन्नयन किए जाने हेतु चिन्हाकित कर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी जाती है। मध्यप्रदेश में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ख)** मध्यप्रदेश में पूर्व से 6 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। तत्पश्चात जिला चिकित्सालयों का चिकित्सा महाविद्यालय में उन्नयन करने संबंधी भारत सरकार की PMSSY योजना अंतर्गत प्रथम चरण में विदिशा, शिवपुरी, शहडोल, रतलाम, दतिया, खण्डवा एवं छिन्दवाड़ा तथा द्वितीय चरण में सतना एवं तृतीय चरण में राजगढ़, मण्डला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, महेश्वर (खरगोन) एवं सिंगरौली स्वीकृत किए गए है। भारत सरकार की PMSSY योजना अंतर्गत अन्य जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त होने पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा सकेगे। **(ग)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। भविष्य में अन्य कोई निर्माण हेतु परिसर में शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(च)** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ड.)** दिनांक 12/08/2020 का पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय के संधारित अभिलेख में उपलब्ध होना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल संभागांतर्गत वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

10. अता.प्र.सं.77 (क्र. 634) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल संभाग के अंतर्गत वक्फबोर्ड की सम्पत्ति किन-किन जिलों के किन-किन नगरों व गांवो में किन-किन स्थानों पर है एवं यह वक्फ सम्पत्ति पर वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों के कब्जे में है? जिलेवार, नगरवार, ग्रामवार, स्थानवार कब्जा धारकों प्लाट नंबर एवं खसरा नंबर, नाम पते सहित जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त वक्फ सम्पत्तियों में कृषि भूमि, दुकान एवं अन्य क्या-क्या आय देने वाली सम्पत्तियां हैं एवं वर्तमान में यह सम्पत्तियां किन-किन के स्वामित्व में एवं किराये पर हैं? नाम पते सहित सम्पत्ति के स्थानवार जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त वक्फ सम्पत्ति से 01.01.2017 से 27.08.2020 तक की स्थिति में कितनी-कितनी आय वक्फ बोर्ड को प्राप्त हुई है एवं किन-किन व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा राशि जमा कराई गई है वक्फ सम्पत्ति की आय से किन-किन कार्यों में राशि को व्यय किया गया है एवं किन नियम प्रक्रियाओं के तहत राशि व्यय की गई है वर्षवार, सम्पत्तिवार एवं सम्पत्ति के स्वामित्व के अनुसार जानकारी दें। उक्त सम्पत्तियों से अभी तक कौन-कौन व्यक्ति/संस्था बोर्ड को किराया आदि की राशि जमा नहीं करा रहे हैं? इसके लिए बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? बतलावें। **(घ)** क्या खसरा नंबर 223/1,225,119/1,119/2 ग्राम चौड़ाखेड़ी तहसील

सिरोंज भूमि वक्फ संपत्ति/ भूमि है? यदि हाँ, तो इन खसरा नंबरों पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा शासकीय भवन, मकान बनाकर निवास किया जा रहा हैं तथा क्या उक्त भूमि पर खेती भी की जा रही है? यदि हाँ, तो किसकी अनुमति से? यदि अनुमति नहीं दी गई है? तो संबंधित व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई है? तो इसके लिए दोषी कौन है तथा अवैध कब्जधारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** भोपाल संभाग के अंतर्गत वक्फ बोर्ड की संपत्ति, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं विदिशा में है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 व 2 अनुसार** है। **(ख)** वक्फ संपत्तियों में कृषि भूमि, दुकान एवं अन्य से आय वाले वक्फों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। वक्फ सम्पत्ति की किरायेदारी स्थानीय कमेटी द्वारा की जाती है। प्रबंध कमेटियों द्वारा वक्फ के किरायेदारों के नाम एवं संपत्ति की स्थानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। **(ग)** भोपाल संभाग अंतर्गत भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं विदिशा में वक्फ संपत्तियों से 01.01.2017 से 27.08.2020 तक की स्थिति में राशि रू. 1,01,43,795/- की आय चंदा निगरानी से प्राप्त हुई है। 223 व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा राशि जमा कराई गई है इसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। वक्फ संपत्ति से प्राप्त आय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 77 के तहत वक्फ कोष में रखी जाती है। वक्फ कोष का प्रयोज्य वक्फ अधिनियम की धारा 77 के बिन्दु क्र. 4 वक्फ कोष प्रयोज्य किया जा सकेगा की उपधाराएं 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'ड.' एवं 'च' एवं बिन्दु क्रमांक-5 अनुसार किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। इस खसरा नं. पर व्यक्तियों द्वारा शासकीय भवन, मकान बनाकर निवास किए जाने संबंधी कार्यवाही वक्फ एक्ट 1995 की धारा 54 के अंतर्गत अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है। जी हां, वक्फ भूमि पर खेती किए जाने के संबंध में वक्फ बोर्ड कार्यालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति न दिए जाने की स्थिति में सूचना प्राप्त होने पर संबंधितों के विरूद्ध वक्फ एक्ट 1995 की धारा 54 अंतर्गत अवैध कब्जाधारियों की विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है।

अपूर्ण उत्तर की पूर्ण जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

11. अता.प्र.सं.84 (क्र. 649) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1641, दिनांक 19 दिसंबर, 2019 का उत्तर देने में विलंब का कारण बताएं एवं उत्तर प्रस्तुत करें। **(ख)** आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. शासन का पत्र क्र. 20/स्था/राज/ 2020 भोपाल दिनांक 04/01/2020 की प्रति उपलब्ध कराएं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** संभागायुक्त, भोपाल संभाग भोपाल से जानकारी चाही गई है, जो अपेक्षित है। **(ख)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार।**] **(क)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1641 (ख) दिनांक 19 दिसम्बर के प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2018 में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, के संबंध में शासन स्तर से संचालक, चिकित्सा शिक्षा को जांच किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तालाब के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण

[नगरीय विकास एवं आवास]

12. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 668) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया एवं फुल टेंक लेवल (FTL) क्षेत्र में दिनांक 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक अतिक्रमण हटाने की कब-कब कार्यवाही की गई? तिथिवार विवरण सहित बताया जाये। **(ख)** प्रश्नांकित क्षेत्र में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने अतिक्रमण है? क्षेत्रवार, संख्यावार अतिक्रमणकारियों की सूची सहित बताया जाये? **(ग)** प्रश्नांश (ख) उल्लेखित अतिक्रमण को हटाकर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्र को कब तक अतिक्रमण मुक्त कर दिया जायेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(ग)** की जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया एवं फुलटैंक लेवल क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्यवाही दिनांक 13-08-2019 एवं 05-09-2019 को की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित क्षेत्र में प्रश्न दिनांक की स्थिति में 276 अतिक्रमण/अवैध संरचनाएं है। अतिक्रमणकर्ताओं/अवैध संरचनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 248 के तहत बेदखल कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न्यायिक प्रकिया द्वारा कि जाती है**,** स्थायी संरचना जैसी स्थिति में अतिक्रमण के मामले में पक्षकार सिविल न्यायालय में उपचार हेतु जाने की संभावना रहती है। न्यायिक प्रकिया के कारण अतिक्रमण हटाने की कोई तिथि अथवा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खाद्यान्न वितरण की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

13. परि.अता.प्र.सं. 111 (क्र. 707) श्री बाला बच्चन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.04.2020 से 25.08.2020 तक प्रदेश में कितने गैर राशनकार्ड वाले उपभोक्ताओं को खाद्यान्न दिया गया? जिलावार, उपभोक्ता संख्या, खाद्यान्न मात्रा सहित माहवार बतावें। **(ख)** उपरोक्त अवधि में कितने स्थानों पर तुअर या अन्य दाल तथा गेहूँ का

आटा कितने उपभोक्ताओं को दिया गया? जिलावार, उपभोक्ता संख्या, खाद्यान्न मात्रा सहित माहवार बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार अधिक खाद्यान्न प्रदाय करने पर परिवहन व अन्य व्यवस्थाओं पर कितनी राशि व्यय हुई? परिवहनकर्ता नाम, अन्य व्यवस्था नाम, राशि पृथक-पृथक बतावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

दिसम्बर, 2020

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

1. ता.प्र.सं. 11 (क्र. 20) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत दो वर्ष में छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े से संबंधित कितनी शिकायतें जिला कार्यालय पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण जबलपुर को प्राप्त हुई? पृथक-पृथक विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? प्रकरणवार बतावें। **(ग)** क्या सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के द्वारा फर्जी अंकसूची तैयार कर किये गये छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े की शिकायत मय साक्ष्य के जिला कार्यालय पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण जबलपुर को प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही हुई? **(घ)** क्या विभाग उक्त शिकायतों के संबंध में दोषियों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कराएगा? यदि हाँ तो, कब?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [**(क)** से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जिला जबलपुर अंतर्गत विगत दो वर्ष में 37 शिकयतें सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुई है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) में वर्णित 37 शिकायतें सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जिला कार्यालय जबलपुर को प्राप्त हुई थी, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** कार्यवाही की गई। **(ग)** जी हॉ। शिकायत सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई थी, प्राप्त शिकायत पर विभाग द्वारा संस्था को पत्र क्रमांक 1467, दिनांक 05.08.2019 एवं पत्र क्रमांक 1525, दिनांक 19.08.2019 को नोटिस जारी किया। संस्था द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार संस्था का रिकार्ड ई.ओ.डब्ल्यू. में जमा है। तत्संबंध में ई.ओ. डब्ल्यू. से पत्र क्रमांक 896, दिनांक 18.12.2020 से जानकारी चाही गई है। ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा पत्र क्रमांक 57-A, दिनांक 21.12.2020 से अवगत कराया गया कि सरस्वती इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजिकल कॉलेज, जबलपुर पर अपराध क्रमांक 11/16 धारा-409, 420, 467,468, 471 भा.द.वि. एवं 13 (1) डी 13 (2) भ्रनिअ 1988 पंजीयन दिनांक 16.03.2020 ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज की गई है, प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। **(घ)** उक्त शिकायत के संबंध में ई.ओ.डब्ल्यू. में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** के क्रमांक 1 पर एक संस्था के विरूद्ध तथा क्रमांक 2 से 36 तक, 16 संस्थाओं पर लोकायुक्त में प्रकरण विवेचनाधीन है एवं क्रमांक 37 पर 01 संस्था के विरूद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। सभी प्रकरण जाँच में है। जाँच उपरांत विधिवत कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 187) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केन्द्र सरकार से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं राज्य सरकार के बजट से आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये किये गये प्रावधानों का योजनावार (सब स्कीम के अंतर्गत) विभिन्न योजनाओं हेतु राशि प्राप्त की जाती है? **(ख)** यदि हाँ, तो वितीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब योजनावार प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि जिलों को योजनावार आवंटित की गयी? **(ग)** केन्द्र सरकार राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में जिला बालाघाट को किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि जनपदवार व्यय की गई? वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी बतावें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं 'दो' अनुसार** है। **(ग)** बालाघाट जिले से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार** है।

जलापूर्ति पर व्यय राशि
[नगरीय विकास एवं आवास]

3. अता.प्र.सं.39 (क्र. 193) श्री लखन घनघोरिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम जबलपुर द्वारा शहर की जनता को स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति जल शोधन संयंत्रों का रख-रखाव, देखभाल, सुरक्षा, नई राईजिंग पाइप लाइनों व डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइनों को बिछाने, पुरानी पाइप लाइन को बदलने, उनका रख-रखाव, मरम्मत, लीकेज, सुधार आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? वर्ष 2018-19 से 2020-21 दिसम्बर 2020 तक की जानकारी दें? **(ख)** जबलपुर शहर में स्वच्छ पेयजल की मांग और पूर्ति की क्या स्थिति है? कितने एम.एल.डी. पेय जल की आपूर्ति की जा रही है? जल शोधन व जलापूर्ति के दौरान तथा पाइप लाइनों में लीकेज, फूटने आदि के कारण माहवार कितने-कितने एम.एल.डी. पेय जल की बर्बादी हुई है? बतलावें। शहर के कौन-कौन से वार्ड जल समस्याग्रस्त हैं? इसके समाधान के क्या प्रयास किये गय हैं? **(ग)** जल शोधन संयंत्रों की राईजिंग पाइप लाइनों, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइनों का सुधार, मरम्मत, लीकेज सुधार कार्य कब-कब, किस-किस एजेन्सी से कितनी-कितनी राशि में कराया गया है? किन-किन वार्डों में नई पाइप लाइन डालने, पुरानी पाइप लाइनों को बदलने का कार्य किस एजेन्सी से कितनी-कितनी राशि में कराया गया है? इसका सत्यापन व गुणवत्ता की जांच कब-कब किसने की है? क्या शासन इसमें किये गये भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, राशि के दुरूपयोग की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** आधार वर्ष **2018** लेने पर जबलपुर शहर में स्वच्छ पेयजल की मांग 274.61 एम.एल.डी. है। जिसके विरूद्ध वर्तमान में 240 एम.एल.डी. पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अमृत योजना में 44 एम.एल.डी. पेयजल प्रदान करने की योजना प्रारंभ होने पर शहर में कुल 284 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। जलशोधन व जलापूर्ति के दौरान तथा पाइप लाइनों में लीकेज, फूटने आदि पर प्लांट से पंप को तत्काल बंद कर दिया जाता है, जिससे लीकेज होने पर पाइप लाइनों में भरा पानी ही निकलता है। इसके मापने की कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं है। शहर के जल समस्या ग्रस्त वार्डों की सूची एवं समाधान का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(ग)** जल शोधन संयंत्रों की राइजिंग पाइप लाईनों, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाईनों का सुधार, मरम्मत, लीकेज सुधार कार्य संबन्धी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। किये गये कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा किया जाता है। उपरोक्त सभी कार्य गुणवत्ता से कराये गये हैं। कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या राशि का दुरूपयोग नहीं हुआ है।

परिशिष्ट - ''एक'' (पृष्ठ क्र. 46)

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का भुगतान

[नगरीय विकास एवं आवास]

4. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 290) श्री उमाकांत शर्मा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** केन्द्र सरकार द्वारा विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत कितने-कितने आवासों के लक्ष्य/स्वीकृति प्रदान की गई है? मध्यप्रदेश में योजना प्रारंभ से कितने-कितने आवास स्वीकृत किये गये हैं? विदिशा जिले की वर्षवार, नगरीय निकायवार एवं वार्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांक (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना के बी.एल.सी. परियोजना हेतु प्रथम एवं द्वितीय डी.पी.आर. की कौन-कौनसी किश्तों की राशि हितग्राहियों को प्रदान कर दी गई है तथा कितने हितग्राहियों की राशि शेष है? तृतीय एवं चतुर्थ (अंतिम) किश्त कौन-कौनसे निकायों की शेष है? निकायवार एवं वार्डवार, हितग्राही के नाम सहित भोपाल एवं ग्वालियर संभाग की वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में तृतीय डी.पी.आर. में कौन-कौन से निकायों को प्रथम किश्त की राशि भारत सरकार द्वारा एम.आई.एस. अटैचमेंट पूर्ण हो गये हैं, कौन-कौनसे निकायों को राशि का भुगतान हो गया है एवं कितने निकायों की राशि भुगतान होना शेष है? हितग्राही के नाम सहित जानकारी भोपाल एवं ग्वालियर संभाग की उपलब्ध करावें। शेष किश्तों का भुगतान कब-तक किया जावेगा? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उक्त परियोजना हेतु राशि आवंटन करवाने हेतु विभाग एवं संचालनालय द्वारा क्या-क्या पत्राचार भारत सरकार को किये गये हैं? पत्राचारों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि पत्राचार नहीं किये गये हैं, तो

पत्राचार कब तक किये जावेंगें? **(ङ)** प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र क्र. 709,716 एवं आयुक्त को पत्र क्र. 710,715 दिनांक 25.08.2020 को प्रेषित किये गये थे। उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाहियों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो कब तक की जावेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में निकायों के प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत विभिन्न घटकों में 11,50,000 आवासों का लक्ष्य था। भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश में योजना प्रारंभ दिनांक से आई.एस.एस.आर. घटक में 2,172, ए.एच.पी. घटक अन्तर्गत 1,42,080 तथा बी.एल.सी. घटक में 5,82,625 आवास कुल 7,26,877 आवास स्वीकृत किये गये है। विदिशा जिले की वर्षवार, नगरीय निकायवार एवं वार्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** भोपाल और ग्वालियर संभाग के निकायों की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बी.एल.सी. घटक की प्रथम एवं द्वितीय स्वीकृत परियोजनाओं (डी.पी.आर.) की किश्त प्रदाय की निकायवार, वर्षवार, वार्डवार एवं शेष किश्तों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। प्रथम एवं द्वितीय डी.पी.आर. के हितग्राही नाम सहित निकायवार, वार्डवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(ग)** भोपाल और ग्वालियर संभाग के निकायों की तृतीय डी.पी.आर. की निकायवार प्रथम किश्त की राशि, एम.आई.एस. अटैचमेंट की स्थिति, निकायों को भुगतान राशि, तथा निकायों की शेष भुगतान राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। तृतीय परियोजना (डी.पी.आर.) की प्रथम किश्त की हितग्राही के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "इ" अनुसार** है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रावधान अनुसार बी.एल.सी. घटक में आवास का निर्माण कार्य हितग्राहियों द्वारा स्वयं किया जाता है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर तथा डी.पी.आर. में आवासों की लिंटल स्तर पर 70 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति की जिओ-टैगिंग पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त, तथा संपूर्ण डी.पी.आर. हितग्राही संख्या का 90 प्रतिशत पूर्ण होने एवं पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होने पर भारत सरकार द्वारा तृतीय किश्त की राशि प्रदान की जाती है, जिससे निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। **(घ)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" अनुसार** है। **(ड.)** की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ज" अनुसार** है।

बड़वानी जिले में अनियमितता पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. अता.प्र.सं.138 (क्र. 719) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में साकेत इंटरनेशनल स्कूल अंजड़ क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र में है या अंजड़

नगर परिषद् क्षेत्र में है? **(ख)** यदि यह ग्राम पंचायत क्षेत्र में है, तो इसकी कई स्वीकृतियां अंजड़ नगर परिषद् द्वारा क्यों दी गई? **(ग)** अंजड़ नगर परिषद् द्वारा इस स्कूल को दी गई समस्त अनुमतियों की प्रमाणित प्रतियां देवें। इसे जारी करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। **(घ)** कलेक्टर बड़वानी कब तक यह अवैधानिक स्वीकृतियां निरस्त कर इसे जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** साकेत इंटरनेशनल स्कूल अंजड, अंजड नगर परिषद् क्षेत्र में है। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** श्री दिनेश जमरे तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् अंजड, जिला बड़वानी द्वारा अनुमति जारी की गई। **(घ)** चूंकि उक्त विद्यालय का डायवर्सन तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर द्वारा किया गया है। तदोपरांत मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् अंजड, जिला बड़वानी द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अवैधानिक स्वीकृतियां निरस्त किये जाने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।

दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

धान परिवहन में व्यय राशि

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

6. अता.प्र.सं.40 (क्र. 268) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018-19, 2019-2020 एवं 2020-21 की अवधि में मण्डला जिले में धान का भण्डारण हेतु कितने किन्टल धान का परिवहन कहाँ से कहाँ आयात-निर्यात किया गया है। वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें। **(ख)** धान का परिवहन के क्या नियम है, नियम की प्रति उपलब्ध करावे। प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में धान के परिवहन हेतु किस-किस ट्रांसपोर्ट कंपनी को टेंडर मिला है (कंपनी का नाम बतावे) निविदा तथा अनुबंध की वर्षवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** क्या धान का अनावश्यक परिवहन में होने वाली व्यय राशि को रोकने हेतु जिलों में ही धान का भंडारण हेतु पर्याप्त ओपन केप निर्माण किया जावेगा, जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) यदि हाँ तो धान का परिवहन के लिए किस किस ट्रांसपोर्ट कंपनी को कुल कितने राशि का भुगतान किया गया है। परिवहन में कुल कितने राशि का व्यय हुआ है? वर्षवार जानकारी प्रदान करें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के परिवहन हेतु परिवहनकर्ता के चयन हेतु जारी निविदा दस्तावेज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। मण्डला जिले में धान परिवहन हेतु चयनित/अनुबंधित परिवहनकर्ताओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग)** वर्तमान में मंडला

जिले में मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन तथा मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ के कुल 1.2 लाख मेट्रिक टन क्षमता के कैप निर्मित है। भविष्य में भंडारण क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता होने की दशा में नये कैप निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। **(घ)** वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 मण्डला जिले में धान के परिवहन पर किए गए भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। वर्ष 2020-21 में परिवहन का कार्य किया जा रहा है। परिवहन उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति

[सामान्य प्रशासन]

7. अता.प्र.सं.58 (क्र. 506) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश सरकार के विभागों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर विचार हेतु रमेशचन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 14.7.2017 के पृष्ठ क्रमांक 16 पर ड्राफ्ट अनुशंसा के बिन्दु 01 व 02 में क्रमशः सहायक ग्रेड 03 संवर्ग की ग्रेड पे रू. 2400 करने तथा प्रथम समयमान ग्रेड पे 2800, द्वितीय समयमान ग्रेड पे रू. 3200 एवं तृतीय समयमान की ग्रेड पे रू 3600 दिए जाने की अनुशंसा की है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 24 में विभागीय अभिमत प्राप्त करने के उपरांत पृष्ठ 24 पर बने कॉलम के बिन्दु क्रमांक 01 में समिति ने अपने विचारण में विभागीय अभिमतों में ली गई आपत्तियों के जवाब देते हुए अंत में सहायक ग्रेड 03 का ग्रेड पे 1900 से स्थान पर 2400 किए जाने हेतु राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का आदेश क्रमांक प.14 (88) वित्त (नियम)/2008 जयपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2013 संलग्न किया है? यदि हां तो कब तक सहायक ग्रेड 03 को ग्रेड पे रू 1900 के स्थान पर रू 2400 दिए जाने के आदेश जारी कर दिए जाऐंगे? शासन द्वारा समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उक्त प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? समस्त अभिलेखों की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।] **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 2017 अनुसार दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें समिति द्वारा बिन्दु क्रमांक-1 सहायक ग्रेड-03 के वेतन को यथावत रखने की अनुशंसा की गई हैं। समिति का प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

सांसद/विधायक निधि के कार्यों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

8. अता.प्र.सं.67 (क्र. 543) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से विदिशा जिले में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि से स्वीकृत किये गये है? कितने कार्य पूर्ण हो चुके

है? कितने कार्य अधूरे हैं? कितने कार्य प्रगतिरत है? कितने कार्य अप्रारंभ हैं? कार्य के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें तथा कौन-कौन सी क्रियान्वयन ऐजेसियों द्‌वारा कार्य किये जा रहे हैं अथवा किये गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्यों का निरीक्षण कौन-कौन से अधिकारियों द्‌वारा किन-किन दिनांकों में किया गया है? कितने कार्य गुणवत्ताविहीन पाये गये हैं? गुणवत्ताविहीन कार्य करने वाली ऐजेंसियों पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त कार्यों का भुगतान किस ऐजेन्सी को प्रथम, द्‌वितीय एवं अंतिम किश्त का भुगतान किन-किन दिनांक में किया गया तथा उक्त कार्यों की स्वीकृत राशि में से कितनी राशि विभाग के पास अभी तक है? **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु निर्माण ऐजेन्सियों के विरूद्‌ध किन-किन दिनांकों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं अधूरे निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे?

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** विदिशा जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची जनपद पंचायतवार/नगरीय निकायवार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति एवं क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमशः कॉलम 4 एवं 5** में दर्शित है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत किये गये कार्यों का निरीक्षण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों के उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों द्‌वारा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 8** में अंकित दिनांक के अनुसार किया गया है। कार्यवार सूची **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** ग्राम पंचायतों नगरीय निकायों एवं शासकीय एजेन्सियों जैसे पी.डब्ल्यू.डी., आर.ई.एस. को **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 11** में अंकित दिनांक अनुसार किश्त राशि जारी की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 की अस्वीकृत कार्यों की ही राशि विभाग के पास उपलब्ध है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये जाते हैं। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

राजगढ़ जिला धार की राजेन्द्रसूरी साख समिति पर कार्यवाही
[सहकारिता]

9. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 565) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिला धार की राजेन्द्रसूरी साख समिति किस दिनांक को बंद की गई? उस दिनांक को समिति में जमाकर्ताओं की संख्या एवं ऋण धारकों की संख्या कितनी कितनी थी तथा कुल जमा राशि तथा दी गई राशि कितनी कितनी थी? **(ख)** समिति में किस प्रकार का कितनी राशि का घोटाला पाया गया? समिति की क्या कोई अचल सम्पत्ति भी है? क्या

वर्तमान स्थिति में सभी जमा कर्ताओं को उनकी राशि प्राप्त हो जायेगी या नहीं? यदि नहीं तो वर्तमान स्थिति में जमा कर्ताओं को कितने प्रतिशत राशि प्राप्त होगी। **(ग)** ऋण धारकों की सूची, ऋण प्राप्त करने की दिनांक, ली गई कुल ऋण राशि, सहित बतावें की ऋण वसूल करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? **(घ)** साख समिति बंद होने के बाद अभी तक जमाकर्ताओं को कितना भुगतान किया गया? यदि नहीं तो क्यों? बतावें की जमाकर्ताओं की राशि के भुगतान हेतु अन्तिम रूप से क्या योजना बनाई गई तथा भुगतान कब तक होगा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** राजगढ़ जिला धार की राजेन्द्र सूरी साख समिति बन्द नहीं की गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। **(ख)** अनियमित ऋण वितरण करना, ऋण स्वीकृति के समय बंधक सम्पत्ति का मूल्यांकन नहीं कराना, सक्षम ऋण स्वीकृति प्राप्त किए बिना ऋण वितरण करना, कालातीत सदस्यों से वसूली के लिए वाद दायर नहीं करना, ऋण वसूली की कार्यवाही न की जाना, कर्मचारियों से ऋण वसूली के प्रकरणों में वेतन से कटौती न करना, तरल पूंजी का अभाव होते हुए भी बड़े ऋण स्वीकृत कर संस्था की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना, लेखा पुस्तकों का उचित संधारण न करना, संस्था द्वारा केश-बुक तारीख नहीं रखना, वर्ष 2018-19 के वित्तीय पत्रक तैयार नहीं करना, अंकेक्षण नहीं कराना, आमसभा का आयोजन नहीं होना, संस्था के सदस्यों को अमानत राशि परिपक्वता के उपरांत भी भुगतान नहीं किया जाना, संस्था की अधिकृत अंशपूंजी से अधिक अंशपूंजी जमा करना इत्यादि अनियमिततायें निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित है, जिसके आधार पर पुलिस में प्राथमिकी पंजीबद्ध करायी गयी है। संस्था के दोषी पदाधिकारी/अधिकारियों के विरूद्ध आर्थिक उत्तरादायित्व निर्धारित कर म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58-बी के तहत कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस कार्यवाही के उपरांत उक्त अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त वास्तविक राशि का निर्धारण हो सकेगा। जी हाँ। ऋणों की वसूली कर जमाकर्ताओं की राशि प्रदाय किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। **(ग)** कालातीत ऋणों की वसूली हेतु म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** अप्रैल 2018 के बाद राशि रूपये 31,18,10,502.62 का भुगतान अमानतदारों को किया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ऋण वसूली की जाकर प्रथमत: छोटे जमाकर्ताओ को अमानत राशि भुगतान किया जावेगा। ऋणी सदस्यों की चल-अचल संपत्तियों से भी ऋण राशि की वसूली करने के बाद अमानतदारों को भुगतान किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।।] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के तहत 87 प्रकरणों में रू. 7.47 करोड़ की वसूली के आदेश पारित किये गये हैं। इनमें से 13 प्रकरणों में राशि रू. 2.79 करोड़ की वसूली की गयी है। शेष निराकृत प्रकरणों में वसूली प्रक्रियाधीन है। कालातीत ऋणों के सभी प्रकरणों में धारा 64 के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

चंबल संभाग में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन
[सामान्य प्रशासन]

10. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 597) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चंबल संभाग में दिनांक 01 जनवरी 2008 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उक्त क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान एवं विभिन्न सभाओं में या भोपाल राजधानी से उपचुनाव 2020 की घोषणा के पूर्व जो घोषणाएं की गई? उक्त प्रत्येक की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं की जानकारी पृथक-पृथक वर्षवार उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत बजट की जानकारी एवं उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए जारी किये गये समस्त आदेशों के छायाप्रतियां उपलब्ध करावें एवं उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित एवं आवंटित बजट राशि एवं व्यय की गई राशि की जानकारी प्रश्न दिनांक तक की पृथक-पृथक उपलब्ध करावें एवं उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग एवं विभिन्न जन प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री द्वारा किये गये भूमिपूजन एवं लगाई गई शिलापट्टिका की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उपचुनाव 2020 के पूर्व दिमनी, अम्बाह, श्योपुर, विधानसभा क्षेत्र में कई चुनावी वादे एवं घोषणाएं उपचुनाव 2020 के पूर्व एवं चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व की गई थी? यदि हां, तो उक्त संपूर्ण घोषणाओं की जानकारी की छायाप्रति एवं उनके क्रियान्वयन के अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त संपूर्ण घोषणाओं को पूर्ण नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय उक्त दिमनी विधानसभा क्षेत्र की घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए आगामी बजट सत्र में संपूर्ण घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट का आवंटन पृथक-पृथक रूप से कराये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति जारी करते हुए उसकी स्वीकृति वित्त विभाग से भी कराकर धरातल पर घोषणाओं को पूर्ण करने हेतु कार्य करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित **परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** में दर्शायी गई है। **(ग)** श्योपुर जिले में विधानसभा उप चुनाव 2020 से ठीक पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई। दिमनी, अम्बाह विधानसभा क्षेत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** घोषणाओं का क्रियान्वयन निहित प्रावधान/प्रक्रियाओं के तहत किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति

[सामान्य प्रशासन]

11. ता.प्र.सं. 23 (क्र. 760) श्री सीताराम : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहरिया (आदिवासी) पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बच्चों के लिये बैकलॉग भर्तियां निकालने की कार्यवाही कब तक की जावेगी? **(ख)** क्या ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर तथा दतिया में जिलेवार बैकलॉग के खाली पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो जिलेवार सूची उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** सहरिया जनजाति का पृथक से बैकलाग नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** जी हाँ। जिलेवार **सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "दो" (पृष्ठ क्र. 47)

भारतीय एवं राज्य सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण

[सामान्य प्रशासन]

12. ता.प्र.सं. 10 (क्र. 879) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनांक 23 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/राज्य पुलिस सेवा के 680 से अधिक अधिकारियों के स्थानांतरण किये गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो 01 सितम्बर, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नांश (क) के अनुसार किन-किन अधिकारियों के कितनी-कितनी संख्या में कब-कब, कहां-कहां से स्थानांतरण किये गये हैं तथा कौन-कौन के स्थानांतरण किन-किन कारणों से निरस्त किये गये तथा किन-किन के स्थानांतरण किन-किन कारणों से संशोधित किये गये हैं? **(ग)** क्या उपरोक्त किये गये स्थानांतरण प्रशासनिक न होकर राजनीति से प्रेरित हैं? यदि नहीं, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों के स्थानांतरण किये जाने से उन अधिकारियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उनका परिवार प्रभावित नहीं होता है? ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में स्थानांतरण किये जाने का औचित्य क्या है? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या अधिकारियों के स्थानांतरण किये जाने के लिए कोई रोस्टर/नीति है? यदि हाँ, तो उसके अनुरूप उक्त स्थानांतरण किये गये हैं?

मुख्यमंत्री : [**(क)** उक्त अवधि में 681 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण, निरस्तीकरण एवं संशोधन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है। भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त एवं संशोधन प्रशासकीय कारणों से किये गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जी नहीं। जी नहीं। अधिकारियों के स्थानांतरण नियमानुसार

प्रशासकीय आधार पर किये जाते हैं। **(घ)** भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण सिविल सेवा बोर्ड से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रशासकीय आधार पर किये जाते हैं एवं तद्नुसार ही स्थानांतरण किये गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति लागू है एवं तद्नुसार स्थानांतरण किये गए हैं।] **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण, निरस्तीकरण एवं संशोधन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब", "स" एवं "द" अनुसार** है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण, निरस्ति एवं संशोधन प्रशासकीय कारणों से किये गए हैं।

दर्ज प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया जाना

[सहकारिता]

13. अता.प्र.सं.136 (क्र. 883) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहकारिता विभाग के किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) में वर्तमान में किस-किस संबंध में किस नंबर से किस दिनांक को प्रकरण पंजीबद्ध होकर कार्यवाही प्रचलन में है? **(ख)** उपरोक्तानुसार किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कब-कब किये गये हैं तथा कितने प्रकरणों में कार्यवाही पूर्णोपरांत चालान प्रस्तुत किया जाना है तथा किन-किन प्रकरणों में शासन द्वारा माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई है तथा किन-किन मामलों में शासन स्तर से चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही लंबित है? **(ग)** उपरोक्त प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में ई.ओ.डब्ल्यू. में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 38/11 किन-किन के विरूद्ध किस संबंध में पंजीबद्ध किया गया था तथा किन-किन को मुख्य आरोपी बनाया गया एवं 9 वर्ष के व्यतीत हो जाने के बावजूद भी न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की शासन से अनुमति नहीं लेने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा कब तक इस प्रकरण में चालान प्रस्तुत कर दिया जायेगा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा ऋण माफी/ऋण राहत योजना 2008 में किये गये घोटाले/गबन पर प्रकरण क्रमांक 38/11, (1) श्री डी.आर. सरोठिया तत्कालीन महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., होशंगाबाद (2) संस्था/क्रियान्वयन पदाधिकारी (3) श्री भूजराम जाट, प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्या., अबगांवकलां, (4) श्री संतोष उपाध्याय, प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्या., अबगांवखुर्द, (5) श्री गोपीकिशन यादव, प्रबंधक/पर्यवेक्षक, सेवा सहकारी समिति मर्या., बालागांव, (6) श्री रमेश कुमार ओझरे, प्रबंधक वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्या., भुवनखेड़ी, (7) श्री पदम सिंह बघेल, सहायक प्रबंधक सेवा सहकारी समिति, धनगांव, (8) श्री रामनारायण शर्मा, प्रबंधक

सेवा सहकारी समिति मर्या.,गहाल (9) श्री गोपीकिशन यादव, पर्यवेक्षक/प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्या. हण्डिया (10) श्री रामनारायण चौहान, सहायक प्रबंधक सेवा सहकारी समिति, खेड़ा (11) श्री हरिप्रसाद गौर, सहायक प्रबंधक, वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति, कडोला उबारी (12) श्री प्रवीण कुमार कासिव, सहायक प्रबंधक, अ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या., मोहनपुर (13) श्री हरिप्रसाद बेडा, पर्यवेक्षक/प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्या., मसगगांव (14) श्री सुरेश विश्नोई, सहायक प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्या., नीमगांव (15) श्री निर्भयदास रायखेडे, सहायक प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्या., पलासनेर (16) श्री नारायण सिंह, सहायक प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्या., पीपलघटा (17) श्री एम.एल. बौरासी, प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्या., गौदागांव कलां (18) श्री देवेंद्र शर्मा, प्रबंधक, वृहत्ताकार, सेवा सहकारी समिति मर्या.,पोखरनी (19) श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, सहायक प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्या., खमलाय (20) श्री सोहनलाल बघेल, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., हरदा (21) श्री हेमंत व्यास, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., टिमरनी (22) श्री प्रेमनारायण जाट, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या.,खिरकिया (23) श्री रामदास शर्मा, पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., हरदा (24) श्री हरिप्रसाद वेडा, पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., हरदा (25) श्री सुरेश तिवारी, पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., टिमरनी, (26) श्री सेवाराम बछान, पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., खिरकिया (27) अन्य अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा विवेचना उपरांत उपरोक्त में से (1) श्री डी.आर. सरोठिया तत्कालीन महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., होशंगाबाद, (2) श्री रामनारायण शर्मा, प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्या.,गहाल, (3) श्री हरिप्रसाद वेडा, पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., हरदा, (4) श्री सोहनलाल बघेल, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या.,हरदा (5) श्री सुनील धनगर, तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., शाखा-मुख्य हरदा, (6) श्री करण सिंह बादल, तत्कालीन समिति अध्यक्ष, सेवा सहकारी समिति मर्या. गहाल के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति चाही गई। प्रथमतः ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा चाहे गए अनुसार उपरोक्त सभी 06 के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति नियोक्ताओं/संस्था द्वारा प्रदान कर दी गई थी। परंतु श्री डी.आर. सरोठिया द्वारा अभियोजन की स्वीकृति देने के विरूद्ध याचिका क्र. 1374/19 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमे पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 से नियोक्ता को निर्देशित किया गया कि अभियोजन की अनुमति पर पिटीशनर को सुनवाई का अवसर देते हुए, पुनः अभियोजन की स्वीकृति देने पर निर्णय लिया जावें। इस पर श्री सरोठिया के नियोक्ता म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल द्वारा संबंधित की सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है तथा सुनवाई उपरांत यथाशीघ्र निर्णय किया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** लोकायुक्त कार्यालय एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" एवं "दो" अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार।

शिलान्यास एवं उद्‌घाटन संबंधी कार्य

[सामान्य प्रशासन]

14. अता.प्र.सं.137 (क्र. 888) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 26.02.2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी द्वारा कुक्षी विधानसभा के डही में कई निर्माण कार्यों एवं योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्‌घाटन किया था लेकिन कार्य स्थल पर शिलान्यास एवं उद्‌घाटन के पत्थर अभी तक क्यों नहीं लगे है? कार्यों की सूची भी उपलब्ध करावें। **(ख)** शिलान्यास एवं उद्‌घाटन के पत्थर लगाने का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? **(ग)** इसके विलंब के लिए दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि शासन इन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** एवं **(ख)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** विलम्ब की स्थिति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

ग्राम पंचायत को रेत उपलब्ध करवाना

[खनिज साधन]

15. ता.प्र.सं. 14 (क्र. 269) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. राजपत्र में दिनांक 30 अगस्त, 2019 को प्रकाशित रेत नियम की कण्डिका (4) में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम उल्लेखित है? गरीबों से संबंधित रेत को लेकर दिये गए छूट के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रश्नांकित दिनांक तक भी आदेश, निर्देश, पत्र परिपत्र जारी नहीं किया? **(ख)** नियम (4) की किस किस कण्डिका में रेत के संबंध में किस-किस को क्या-क्या छूट दी गई है? उस छूट के संबंध में राज्य मंत्रालय भोपाल ने किस-किस दिनांक को पत्र, परिपत्र, आदेश या निर्देश जारी किया है? यदि नहीं, किया है तो कारण बतावें। **(ग)** नियम में रेत से संबंधित दी गई छूट का लाभ उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में राज्य मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है अथवा कब तक करेगा?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 4 की **प्रति संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित** है। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 4 की **प्रति संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित** है। यह नियम अधिसूचित नियम है। खनिज साधन विभाग से प्रश्नानुसार नियम अधिसूचित होने के कारण पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में दिये उत्तर अनुसार।] **(क)** मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 4 की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** पर दर्शित है। प्रश्नांश के शेष भाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

परिशिष्ट - "तीन" (पृष्ठ क्र. 48-49)

संबल योजना का क्रियान्वयन

[श्रम]

16. परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 276) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पूर्व सरकार द्वारा असंगठित शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों एवं कर्मचारी के लिये शुरू की गई संबल योजना का संचालन वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं? **(ख)** यदि हाँ, तो जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक अंत्येष्टि सहायता, अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु व दुर्घटना मृत्यु) प्रसव पूर्व जाँच प्रोत्साहन योजना, प्रसव उपरांत सहायता योजना, महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना (शिक्षा के क्षेत्र में) के तहत जिला सिवनी में कितने-कितने हितग्राहियों को सहायता दी गई? वर्षवार, ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय क्षेत्रवार सूची देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) योजनान्तर्गत जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरणों का पंजीयन हुआ है, कितनों को सहायता राशि प्रदाय की जा चुकी है और कितनों को भुगतान होना लंबित है? कारण सहित वर्षवार, ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय क्षेत्रवार सूची देवें। **(घ)** प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्नांश क्रमांक 23 दिनांक 20 दिसम्बर 2019 को प्रश्न के जवाब में संबल योजना अंतर्गत जिला पंचायत सिवनी ने कार्ड मुद्रण में ई-टेंडरिंग नहीं होने पर विस्तृत जाँच होना बताया गया था तो क्या प्रकरण की विस्तृत जाँच कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या, कार्यवाही हुई? जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये अवगत करावें।

खनिज साधन मंत्री : [(**क)** जी हाँ। **(ख)** जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले में योजनावार स्वीकृत प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। वर्षवार, ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय क्षेत्रवार हितग्राहियों की संख्या संबंधी सूची तैयार की जा रही है। **(ग)** योजनांतर्गत जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक 3530 प्रकरणों का पंजीयन हुआ है 2415 को सहायता राशि प्रदाय की जा चुकी है। 1115 प्रकरणों में भुगतान लंबित है लंबित प्रकरणों में शासन स्तर से भुगतान की प्रक्रिया जारी है। वर्षवार, ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय क्षेत्रवार सूची तैयार की जा रही है। **(घ)** प्रश्नांश की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी से संबंधित होने के कारण जानकारी प्राप्त की जा रही है।] **(घ)** तारांकित प्रश्नांश क्रमांक 23, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 के स्थान पर तारांकित प्रश्नांश क्रमांक 358, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 प्राप्त हुआ था। जी नहीं, जाँच कार्यवाही प्रचलन में है।

वन ग्रामों के किसानों की समस्याओं का निराकरण

[वन]

17. अता.प्र.सं.40 (क्र. 463) श्री सचिन बिरला : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन के द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो वर्तमान में खरगोन जिले की बड़वाह एवं सनावद तहसील में ऐसे

कितने ग्राम हैं, जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाना प्रस्तावित है? **(ख)** क्या खरगोन जिले की तहसील बड़वाह एवं सनावद के ग्राम कुण्डी, बड़ेल, लाइनपुरा, बरखेड़ा, सापट, बेकल्या, घाघला, सालीखेड़ा, कड़ियाकुंड, सुलगांव, मेहंदीखेड़ा, रावत पलास्या, पीपरीखेड़ा, जामन्या, बलखड़ एवं दोनों तहसीलों के अन्य वन ग्रामों में भूमियों के नामांतरण नहीं किये जा रहे हैं? यदि हाँ तो कारण बतावें। **(ग)** नामांतरण नहीं होने एवं अभिलेख अद्यतन नहीं होने के अभाव में ऐसे कितने कृषक हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? इनके अभिलेख अद्यतन हेतु शासन की क्या कार्य योजना है एवं इनका अभिलेख अद्यतन कब तक करा लिया जावेगा? **(घ)** वन भूमि के कृषकों को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सहित शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के लिये शासन की नीतियों में कमियाँ है, या अधिकारियों की लापरवाही से ये किसान शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं?

वन मंत्री : [(**क)** जी हाँ, खरगोन जिले के बड़वाह तहसील में 09 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। सनावद तहसील में कोई भी वनग्राम नहीं होने से कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** खरगोन जिले के तहसील बड़वाह एवं सनावद के ग्राम बड़ेल, लाईनपुरा, बरखेड़ा, सापट, बेकल्या, घांघला, सालीखेड़ा, कडियागुण्ड, सुलगांव महेन्दीखेड़ी, रावत पलास्या, जामन्या राजस्व ग्राम हैं। ग्राम पिपरीखेड़ा, बलखड, वर्ष 1962 के अतिक्रमण व्यवस्थापित केन्द्र हैं। इन ग्रामों में पट्टेधारियों के नामान्तरण किये जा रहे हैं। तहसील बड़वाह के वनग्रामों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-25-43/2006/10-3 दिनांक 11.12.2020 से वन अधिकार पत्रधारकों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों में प्रचलित योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** खरगोन जिले के तहसील बड़वाह एवं सनावद के ग्राम बड़ेल, लाईनपुरा, बरखेड़ा, सापट, बेकल्या, घांघला, सालीखेड़ा, कडियागुण्ड, सुलगांव महेन्दीखेड़ी, रावत पलास्या, जामन्या राजस्व ग्राम हैं। ग्राम पिपरीखेड़ा, बलखड, वर्ष 1962 के अतिक्रमण व्यवस्थापित केन्द्र हैं। इन ग्रामों में पट्टेधारियों के नामान्तरण किये जा रहे हैं। वनमण्डल बड़वाह के 09 वनग्रामों के वनग्राम नियम, 1977 के तहत आवंटित 15 वर्षीय पट्टेधारियों की अवधि वर्ष 2007 में समाप्त होने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये हैं। भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण नामान्तरण की कार्यवाही लंबित है। **(ग)** भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित होने से बड़वाह वनमण्डल के अन्तर्गत 09 वनग्रामों के 60 पट्टेधारियों के अभिलेख अद्यतन के अभाव में नामान्तरण की कार्यवाही लंबित है। इस कारण उन्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होते ही अभिलेख अद्यतन किये जायेंगे। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निलंबित चिकित्सा अधिकारी डॉ॰ महावीर खंडेलवाल को नियम विरुद्ध बहाली
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. परि.अता.प्र.सं. 60 (क्र. 582) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनांक 21/09/2017 को जारी किए गए बहाली आदेश में डॉ महावीर खंडेलवाल को प्रशासकीय अनुमोदन लेकर बहाल किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 06/11/2002 के पैरा 5 अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया था? यदि हाँ तो क्या अनुमोदन पूर्व सा.प्र.वि. के भोपाल दिनांक 26/02/2007 को जारी संसोधन को विचार में लिया गया था? यदि हाँ, तो प्रकरण संबंधी सम्पूर्ण नस्ती उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या संशोधित आदेश में शासकीय सेवक को भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में सरकार द्वारा दांडिक अपराध की अभियोजन स्वीकृति के बाद शासकीय सेवक के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो, उस शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जाएगा का पालन प्रशासकीय अनुमोदन देने वाले अधिकारियों ने क्यों नहीं किया? यदि नहीं किया तो परिपत्र दिनांक 06/11/2002 के पैरा 05 के पुराने आदेश के आधार पर क्या बहाली आदेश निकालना भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है? **(ग)** क्या मध्य प्रदेश शासन उक्त आदेश में बहाली हेतु भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासकीय अनुमोदन देने वाले के कार्य करने वाले दोषी अधिकारियों पर षड्यंत्र और शासन के साथ की गयी धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध करेगा? उक्त सभी बिन्दुओं पर शासन द्वारा कि गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराएँ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। प्रकरण की नस्ती **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ख)** डॉ. महावीर खण्डेलवाल, चिकित्सा अधिकारी द्वारा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर में क्रिमनल अपील क्रमांक 2680/2014 दायर की गई थी, जिसमें पारित न्यायालयीन निर्णय दिनांक 25.06.2014 द्वारा इनके विरूद्ध प्रचलित प्रकरण को अपास्त किये जाने के कारण डॉ. खण्डेलवाल को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2002 के पैरा-05 अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत निलंबन से बहाल किया गया है। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रेसीम इंडस्ट्रीज लि.नागदा जं. द्वारा फ्लाय एश का निष्पादन
[पर्यावरण]

19. ता.प्र.सं. 19 (क्र. 676) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्र.क्र. 712, दिनांक 23.09.2020 के (ख) उत्तर के संदर्भ में बतावें कि ग्रेसीम इंडस्ट्रीज लि. नागदा जं. द्वारा फ्लाय एश के परिवहनकर्ताओं को दिनांक 01.01.2018 से 30.11.2020 तक कितनी राशि, किन-किन परिवहनकर्ताओं को प्रदान की? वाहन

नंबर, वाहन स्वामी का नाम, खाता नंबर, वाहन प्रकार सहित माहवार जानकारी देवें। **(ख)** यदि यह राशि नहीं दी गई है तो इसके लिये उद्योग पर जिले व प्रदेश के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? **(ग)** प्र.क्र. 712 दिनांक 23.09.20 से (घ) उत्तर अनुसार ग्रेसीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा जं. द्वारा व्यवसायिक गोपनीयता को आधार बताकर जानकारी उपलब्ध न कराना म.प्र. विधान सभा की अवमानना की श्रेणी में आता है, इसकी आड़ में कंपनी द्वारा नियमों के उल्लंघन को प्रश्रय देकर विधानसभा की अवमानना करने वाले उत्तर को स्वीकार करने वाले अधिकारी पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? **(घ)** उपरोक्तानुसार इच्छित जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में किसी परिवहनकर्ता को राशि प्रदान नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में फ्लाई ऐश के किसी वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अनुविभागीय अधिकारी, नागदा के पास कोई शिकायत/दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोरोना अनलॉक होने के पश्चात ठेका श्रमिकों की स्थिति

[श्रम]

20. परि.अता.प्र.सं. 114 (क्र. 813) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा स्थित उद्योगों में 100 प्रतिशत उत्पादन होने के पश्चात भी कोरोना लॉकडाउन के पश्चात पूर्व में कार्यरत ठेका श्रमिकों को कार्य पर क्यों नहीं रखा जा रहा है? कारण सहित विवरण दें तथा कौन-कौन से उद्योगों में कितने श्रमिकों को नहीं रखा जा रहा है? पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ख)** विधानसभा प्रश्न क्रं.22 दिनांक 22.09.2020 में ग्रेसिम उद्योग में 725 ठेका श्रमिकों को नियोजित किये जाने की जानकारी दी गयी थी? क्या जो श्रमिक नियोजित किए जा रहे हैं वे नये श्रमिक हैं? यदि हाँ तो क्या उन्हें श्रम कानून के तहत कार्य पर रखा जा रहा है या पूर्व से कार्यरत ठेका श्रमिक है? शेष बचे ठेका श्रमिकों को कब तक कार्य पर बुलाया जायेगा? **(ग)** माननीय मुख्यमंत्री 26 नवम्बर, 2020 के नागदा नगर आगमन पर ठेका श्रमिक नेताओं व अन्य नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री से ठेका श्रमिकों को काम पर रखे जाने की मांग करने पर मुख्यमंत्री द्वारा क्या निर्देश प्रदान किए गए हैं तथा दिए गए मांग पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** नागदा स्थित उद्योगों में पूर्व में कार्यरत ठेका श्रमिकों को ही ठेकेदारों द्वारा लॉकडाउन के पश्चात कार्य की आवश्यकतानुसार कार्य पर रखा जा रहा है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** ग्रेसिम उद्योग में ठेकेदारों द्वारा पूर्व में

नियोजित श्रमिकों को ही कार्य पर रखा जा रहा है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** ठेका श्रमिक नेताओं व अन्य नेताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ठेका श्रमिकों को काम पर रखे जाने की मांग के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी से ठेका श्रमिकों को काम पर रखे जाने की मांग के संबंध में कोई निर्देश/घोषणा प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट – 'स'

जलशोधन संयंत्रो की राईजिंगमेन व डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइनो का सुधार/मरम्मत/लीकेज सुधार कार्य में व्यय की गयी वर्षवार राशि का विवरण

फर्म का नाम	मेसंर्स ग्रोवर मेकेनिकल	रवि ट्रेडर्स
वर्ष 2018–19	58,02,240	1,23,29,760
वर्ष 2019–20	53,13,670	1,30,09,330
वर्ष 2020–21	45,98,635	80,00,365

सहायक यंत्री (जलवितरण)
नगर निगम,जबलपुर

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

परिशिष्ट –"अ"

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांकः 760

क0	जिले का नाम	बैकलॉग
1.	ग्वालियर	निरंक
2.	शिवपुरी	30
3.	गुना	50
4.	अशोकनगर	16
5.	श्योपुर	23
6.	दतिया	निरंक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(आरक्षण प्रकोष्ठ)

4. छूट.-

(1) पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करनें के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान(लोडिंग) एवं परिवहन को छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी :

परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार के द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रायल्टी वापस नहीं की जाएगी।

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति के मजदूर, सदस्यों, कारीगरों, ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वयं के निवास के निर्माण, मरम्मत, कुँओं के निर्माण व कृषि कार्यों हेतु ग्राम सभा द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 10 घनमीटर रेत का उपयोग किया जा सकेगा।

(3) अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या ऐसे समूह की सहकारी समिति के सदस्य, जो परम्परागत साधनों से बर्तन, टाइल्स तथा ईंट बनाने में लगे हुए हैं, रायल्टी/प्रशासकीय प्रभार का भुगतान किए बिना ग्राम सभा द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्रों से रेत प्राप्त कर सकेंगे।

अध्याय - दो

नवीन रेत खदानों का सीमांकन, घोषित किया जाना एवं समूह बनाया जाना

5. (1) **रेत खदानों का सीमांकन** - कलक्टर, प्रदेश की नदियों या अन्य स्थानों पर नवीन रेत वहन क्षेत्रों की पहचान करेंगे। डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा इसकी अवस्थिति, राजस्व नक्शे में अक्षांश तथा देशांश सहित, चिन्हित की जाएगी :

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से सीमांकित एवं घोषित रेत खदानों में यथा अपेक्षित इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संशोधन किया जा

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन

ता 05-02-0 269

परिशिष्ट
(प्रपत्र-ब)

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. 159 /22/वि-11/वि.स.से/2020 भोपाल दिनांक 28/12/2020

प्रति,

अवर सचिव,
म.प्र. शासन,
खनिज साधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषय : विधानसभा (अप्रत्यक्ष) तारांकित प्रश्न क्र. 269 (सत्र दिसम्बर 2020) द्वारा डॉ. अशोक मर्सकोले विषयक्।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत विधानसभा सत्र दिसम्बर 2020 में प्राप्त (अप्रत्यक्ष) तारांकित प्रश्न क्रमांक 269 डॉ. अशोक मर्सकोले द्वारा प्रश्नांश 'क' से 'ग' तक की विभाग से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

(क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रश्नांकित दिनांक तक प्रश्नांश 'क' अनुसार छूट हेतु आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्र जारी नहीं किये गये हैं।

(ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) शासन से संबंधित।

28/12/2020

(लक्ष्मी चौधरी)
उपायुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग